RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

D.B. Civil Writ Petition No. 5714/2022

Digvijay Singh Rajawat S/o Surendra Singh Rajawat, Aged About 30 Years, R/o Plot No. 3 Santaji Marg, Opposite Pondrik Park, Brahmpuri Road, Jaipur (Raj.) 302002

----Petitioner

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through The Principal Secretary, Law And Legal Affairs Department, Government Of Rajasthan, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) 302001
2. Rajasthan Public Service Commission, Through Its Secretary, Rpsc, Ghooghra Ghati, Jaipur Road, Ajmer (Raj.) 305001

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Digvijay Singh Rajawat, Petitioner in person
For Respondent(s)	:	Mr. Bharat Vyas, Additional Advocate General assisted by Ms. Pratyushi Mehta, Advocate Mr. M.F. Baig, Advocate
For Applicant (s)	:	Mr. Ravi Kant Sharma, Advocate

HON'BLE MR. JUSTICE PANKAJ BHANDARI
HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

07/11/2024

PER HON'BLE MEHTA, J.

यह रिट याचिका याची दिग्विजय सिंह राजावत द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 'विधि रचनाकार' के पद हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांकित 13.01.2021 में उल्लिखित अर्हता संबंधी शर्त एवं विधि रचना सेवा नियम 1981 के नियम 12 सपठित अनुसूची–1 कॉलम–4 के क्रम–4 पर उल्लिखित अर्हता संबंधी शर्त कि ''अभ्यर्थी के पास बी.ए. पाठ्यक्रम में हिन्दी व अंग्रेजी विषय आवश्यक रूप से हों (जिनमें कम से कम एक विषय वैकल्पिक हो) {Candidate must have had English and Hindi as the Subjects (at least one of them being optional) in B.A. examination.}''

(Downloaded on 06/02/2025 at 01:10:07 PM)

को उक्त सीमा तक असंवैधानिक और अधिकारातीत (unconstitutional and ultra-vires) घोषित करने हेतु प्रस्तुत की गई है।

याचिका में याची का अभिकथन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 'विधि रचनाकार' के पद हेतु दिनांक 13.01.2021 को एक विस्तृत विज्ञापन जारी किया, जिसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के पद संख्या 1(बी) में यह अंकित किया गया कि ''अभ्यर्थी के पास बी.ए. पाठ्यक्रम में हिन्दी व अंग्रेजी विषय आवश्यक रूप से हों (जिनमें कम से कम एक विषय वैकल्पिक हो) {Candidate must have had English and Hindi as the Subjects (at least one of them being optional) in B.A. examination.}'' याची द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन किया गया, जिसमें आयोग द्वारा याची को रोल नंबर 101107 आवंटित करते हुए प्रवेश पत्र जारी किया गया। जिसकी लिखित परीक्षा दिनांक 26.07.2021 को आयोजित की गई, जिसमें प्रार्थी उपस्थित हुआ। उक्त परीक्षा का परिणाम दिनांक 29.10.2021 को आयोग द्वारा जारी किया गया, जिसमें आयोग द्वारा याची को उत्तीर्ण करते हुए साक्षात्कार हेतु अस्थाई रूप (provisional) से सफल घोषित किया गया तथा दिनांक 09.11.2021 तक सफल अभ्यर्थियों के समस्त आवश्यक दस्तावेज पात्रता जांच हेतु चाहे गये, जिसकी पालना में याची द्वारा अपने दस्तावेज आयोग में सत्यापन हेतु जमा कराये गये। पात्रता जांच के पश्चात् आयोग ने याची को एक पत्र क्रमांक 767 दिनांक 16.12.2021 प्रेषित करते हुए भर्ती विज्ञप्ति में उल्लिखित स्थितिनुसार ''अभ्यर्थी के पास बी.ए. परीक्षा में हिन्दी व अंग्रेजी विषय आवश्यक रूप से हों (जिनमें से कम से कम एक विषय वैकल्पिक हो) {Candidate must have had English and Hindi as the Subjects (at least one of them being optional) in B.A. examination.}'' योग्यता नहीं रखने का कारण दर्शित करते हुए अपात्र घोषित कर दिया।

याची के अनुसार उसने B.A. L.L.B.(Hons.) का पांच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम (course) किया हुआ है, जिसमें 10 Semester होते हैं तथा प्रथम व द्वितीय Semester में सामान्य अंग्रेजी व संवादशील अग्रेजी (General English and Communicative English) विषय का अध्ययन याची द्वारा किया गया है, इसके अलावा उसने 2008 में माध्यमिक परीक्षा में 100 नंबर में से अंग्रेजी में 73 व हिन्दी में 79 नंबर प्राप्त किये तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा में 100 नंबर में से अंग्रेजी में 65 नंबर प्राप्त

(Downloaded on 06/02/2025 at 01:10:07 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

किये हैं। याची अंग्रेजी व हिन्दी दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखता है तथा उसके द्वारा जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से पांच वर्ष का एकीकृत पाठ्यक्रम B.A. L.L.B.(Hons.) का अध्ययन किया गया है, जो बार कॉसिल ऑफ इण्डिया द्वारा विधिवत अनुमोदित तथा यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक का पाठ्यक्रम है। विधि स्नातक के उक्त पाठ्यक्रम में हिन्दी विषय नहीं होता है। आयोग द्वारा हिन्दी या अंग्रेजी वैकल्पिक विषय (optional subject) के रूप में नहीं होने के कारण विधि रचना सेवा नियम 1981 के आलौच्य नियम 12 सपठित अनुसूची–1 कॉलम–4 के क्रम–4 के अनुसार याची को अपात्र घोषित कर दिया गया।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

याचिकाकार का अभिकथन है कि स्नातक पाठ्यक्रम में समय–समय पर विभिन्न विषयों में परिवर्तन होता रहता है तथा आलौच्य नियम लगभग चार दशक पूर्व बनाये गये, परन्तु चार दशक पश्चात् भी इस संबंध में कोई संशोधन उसमें नहीं किये गये। इस प्रकार की अनिवार्य योग्यता मनमानी, तर्कहीन है और उच्च योग्यता की अनदेखी करती है तथा भर्ती की प्रतिस्पर्धा व गुणवत्ता को कम करती है। इस प्रकार बी.ए. परीक्षा में अंग्रेजी या हिन्दी का वैकल्पिक विषय (optional subject) के रूप में न होने के आधार पर याची को अयोग्य घोषित किया जाना भेदभावपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण होकर संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इससे B.A. L.L.B. पांच वर्षीय पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाला पूरा वर्ग इस भर्ती परीक्षा से वंचित होगा, जो कि भर्ती परीक्षा में प्रतिस्पर्धा व गुणवत्ता के स्तर को कम करता है। भर्ती नियमों को प्रत्येक दस वर्ष में परिस्थितियों तथा स्नातक कोर्स में परिवर्तित विषयों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाना चाहिए, जो कि नहीं किया गया, जिससे विज्ञप्ति में अंकित की गई शैक्षणिक योग्यता निरर्थक हो गई।

याचिकाकार का यह भी अभिकथन है कि उसके पास माध्यमिक कक्षा में अनिवार्य हिन्दी व अनिवार्य अंग्रेजी विषय था तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा में अंग्रेजी विषय था, जिसकी उसने पढ़ाई की है तथा दोनों विषयों में प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किये हैं और स्नातक पाठ्यक्रम में सामान्य अंग्रेजी व संवादशील अंग्रेजी (General English and Communicative English) विषय का अध्ययन किया है। साथ ही आयोग द्वारा विधि रचनाकार के पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा (जिसमें हिन्दी से अंग्रेजी व अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया गया है) याची ने उत्तीर्ण की है। ऐसी

(Downloaded on 06/02/2025 at 01:10:07 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

स्थिति में मात्र स्नातक में हिन्दी या अंग्रेजी विषय का वैकल्पिक विषय (optional subject) के रूप में नहीं होने के आधार पर याची को अयोग्य घोषित किये जाने संबंधी नियम असंवैधानिक और अधिकारातीत (unconstitutional and ultra-vires) है, जिसे न्यायहित में हटाया जावे तथा प्रार्थी की रिट याचिका को स्वीकार कर विधि रचना सेवा नियम 1981 के नियम 12 सपठित अनुसूची–1 कॉलम–4 के क्रम–4 पर उल्लिखित नियम ''अभ्यर्थी के पास बी.ए. परीक्षा में हिन्दी व अंग्रेजी विषय आवश्यक रूप से हों (जिनमें से कम से कम एक विषय वैकल्पिक हो) {Candidate must have had English and Hindi as the Subjects (at least one of them being optional) in B.A. examination.}'' को असंवैधानिक और अधिकारातीत (unconstitutional and ultra-vires) घोषित किया जावे तथा याची को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाकर परिणाम के आधार पर नियुक्ति दिये जाने के आदेश दिये जावे।

Rajasthan High Court सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

अयाचीगण की ओर से याचिका का जवाब प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया गया कि याची 'विधि रचनाकार' के पद हेतु जारी भर्ती परीक्षा के नियमों में विहित अनिवार्य योग्यता ''अभ्यर्थी के पास बी.ए. परीक्षा में हिन्दी व अंग्रेजी विषय आवश्यक रूप से हों (जिनमें से कम से कम एक विषय वैकल्पिक हो) {Candidate must have had English and Hindi as the Subjects (at least one of them being optional) in B.A. examination.}'' नहीं रखता था तथा स्नातक में याची द्वारा हिन्दी विषय का न तो वैकल्पिक (optional) और न ही अनिवार्य (compulsory) विषय के रूप में अध्ययन ही किया गया है। 'विधि रचनाकार' एक द्विभाषी ड्राफ्टमैन होता है, जिसे हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा/विषय का विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में जो शैक्षणिक अर्हताएं रखी गई थी, उन्हें पढ़–समझकर ही आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद याची द्वारा भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन किया गया है तथा लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुआ है। ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर वह इसे चुनौती नहीं दे सकता है। याची स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। अतः याची की ओर से प्रस्तुत रिट याचिका निरस्त की जावे।

बहस सुनी गई।

याची के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि 'विधि रचनाकार' के पद पर भर्ती के संबंध में विधि रचना सेवा नियम 1981 प्रभावी हैं तथा उक्त सेवा नियम के

(Downloaded on 06/02/2025 at 01:10:07 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

नियम 12 सपठित अनुसूची–1 कॉलम–4 के क्रम–4 में विधि रचनाकार के पद हेतु शैक्षणिक अर्हताओं का उल्लेख है। उक्त नियमों के अनुसार ही अर्हताओं का उल्लेख विधि रचनाकार के पद हेतु जारी विज्ञप्ति में भी किया गया है। उनका तर्क है कि उक्त अनिवार्य अर्हता का यह भाग कि ''अभ्यर्थी के पास बी.ए. परीक्षा में हिन्दी व अंग्रेजी विषय आवश्यक रूप से हों (जिनमें से कम से कम एक विषय वैकल्पिक हो) {Candidate must have had English and Hindi as the Subjects (at least one of them being optional) in B.A. examination.}'' विभेदकारी है और असंवैधानिक और अधिकारातीत (unconstitutional and ultra-vires) घोषित किये जाने योग्य है। उनका तर्क है कि उक्त विहित अर्हता के कारण पांच वर्षीय B.A. L.L.B. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का सम्पूर्ण वर्ग ही उक्त प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो जाता है, क्योंकि उक्त विषय उनके पाठ्यक्रम में है ही नहीं और इस प्रकार से यह नियम विभेदकारी होकर संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के उल्लंघन (violation) में है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

उनका यह भी तर्क है कि याची द्वारा दसवीं कक्षा तक हिन्दी व अंग्रेजी विषय पढ़े गये थे। उनका तर्क है कि याची द्वारा बार कॉसिल ऑफ इण्डिया से विधिवत अनुमोदित तथा यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से पांच वर्ष के एकीकृत B.A. L.L.B.(Hons.) पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हुआ है तथा उक्त पाठ्यक्रम में हिन्दी या अग्रेजी भाषा वैकल्पिक विषय (optional subject) के रूप में है ही नहीं। उक्त पांच वर्षीय पाठ्यक्रम 1988 से शुरू किया गया है, जबकि विधि रचनाकार हेतु उक्त नियम इससे पूर्व वर्ष 1981 के बने हुए हैं और इस कारण से उक्त नियम अनावश्यक (redundant) हैं।

उनका यह भी तर्क है कि उक्त पद के लिए अर्हता, जो विहित की गई है, वह वास्तविकता में युक्तियुक्त वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं आती है। युक्तियुक्त वर्गीकरण की दो शर्तें हैं। **एक** तो यह कि वर्गीकरण का कोई स्पष्ट तार्किक आधार हो और **दूसरा** यह कि उक्त वर्गीकरण के आधार का उक्त नियमों के उद्धेश्य के साथ युक्तियुक्त संबंध (nexus) हो। वर्तमान् मामले में विधि रचनाकार के पद पर चयन हेतु भर्ती की जानी है और अभ्यर्थी द्वारा बी.ए. में हिन्दी या अंग्रेजी विषय को वैकल्पिक विषय (optional subject) के रूप में पढ़ना आवश्यक होने की शर्त व उक्त अर्हता के आधार

(Downloaded on 06/02/2025 at 01:10:07 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

पर जो वर्गीकरण योग्य व अयोग्य अभ्यर्थियों का किया गया है, उसका कोई तार्किक संबंध उक्त पद के कार्य हेतु वांछित योग्यता से नहीं है। उनका तर्क है कि याची ने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षा में अनिवार्य हिन्दी व अनिवार्य अंग्रेजी विषय और स्नातक पाठ्यक्रम में सामान्य अंग्रेजी व संवादशील अंग्रेजी (General English and Communicative English) विषय की पढ़ाई की है। साथ ही याची उक्त भर्ती परीक्षा में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद संबंधी प्रश्नपत्र में अच्छे अंक लाकर उत्तीर्ण भी हुआ है। इससे भी यह स्पष्ट है कि याची 'विधि रचनाकार' के कार्य हेतु आवश्यक योग्यता (ability) रखता है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

उनका यह भी तर्क है कि केवल परीक्षा में भाग लेने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि वह संबंधित नियमों को और विज्ञापन की शर्त को चुनौती नहीं दे सकता है, क्योंकि परीक्षा में भाग लेने का आशय मात्र यह है कि उसने केवल निर्धारित प्रकिया (prescribed procedure) को स्वीकार किया है, न कि उसमें वर्णित अवैधता को। उनका तर्क है कि जहां सांविधिक नियमों (statutory rules) के गलत निर्वचन (mis-construction) के विभेदकारी परिणाम हो, वहां उक्त नियमों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के उपरान्त भी चुनौती दी जा सकती है। अपने इस तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किया गया–

1. Dr. (Major) Meeta Sahai vs. State of Bihar and others
   (2019) 20 Supreme Court Cases 17

उनका यह भी तर्क है कि जिस अभ्यर्थी के पास उच्चतर योग्यता (higher qualification) हो, उसके संबंध में यह माना जावेगा कि उसके पास पद के लिए विहित योग्यता है। अपने इस तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किया–

1. Komal Purohit vs. State of Rajasthan & Ors.
   2019(1) RLW 862 (Raj.)

उक्त तर्क प्रस्तुत करते हुए याची ने यह प्रार्थना की कि वैकल्पिक विषय से संबंधित विधि रचना सेवा नियम 1981 के नियम 12 सपठित अनुसूची–1 कॉलम–4 के क्रम–4 पर उल्लिखित नियम ''अभ्यर्थी के पास बी.ए. परीक्षा में हिन्दी व अंग्रेजी विषय आवश्यक रूप से हों (जिनमें से कम से कम एक विषय वैकल्पिक हो) {Candidate

(Downloaded on 06/02/2025 at 01:10:07 PM)

must have had English and Hindi as the Subjects (at least one of them being optional) in B.A. examination.}'' को असंवैधानिक और अधिकारातीत (unconstitutional and ultra-vires) घोषित किया जावे तथा याची को उक्त पद के लिए योग्य मानते हुए आगे की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावे।

इसके विपरीत अयाचीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आयोग के द्वारा विधि रचनाकार के पद हेतु जारी विज्ञप्ति दिनांक 13.01.2021 के अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के पद संख्या 1(बी) में अंकित ''अभ्यर्थी के पास बी.ए. परीक्षा में हिन्दी व अंग्रेजी विषय आवश्यक रूप से हों (जिनमें से कम से कम एक विषय वैकल्पिक हो) {Candidate must have had English and Hindi as the Subjects (at least one of them being optional) in B.A. examination.}'' वांछित अर्हता को याची पूर्ण नहीं करता था। उक्त वांछित अर्हता विधि रचना सेवा नियम 1981 के नियम 12 सपठित अनुसूची–1 कॉलम–4 के क्रम–4 के अनुरूप है, जो याची द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने के कारण उसे अयोग्य घोषित किया गया है। उनका तर्क है कि याची ने उक्त योग्यता नहीं रहने के उपरान्त भी परीक्षा में भाग लिया है तथा परीक्षा में भाग लेने मात्र से उसके पक्ष में किसी प्रकार के कोई अधिकार सृजित नहीं हो जाते हैं।

उनका यह भी तर्क है कि एक बार जब याची ने उक्त उल्लिखित नियमों को स्वीकार करते हुए परीक्षा में भाग ले लिया है, तो वह इन नियमों को चुनौती नहीं दे सकता है। उनका यह भी तर्क है कि यह नियोजक के रूप में राज्य का विशेषाधिकार है कि वह किसी पद पर भर्ती के लिए पात्रता/योग्यता निर्धारित करें तथा यह न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है कि नियोजक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक योग्यता (statutory qualification) को विस्तृत कर दें अथवा ऐसी अर्हता निर्धारित कर दें, जो सांविधिक रूप से निर्धारित/विहित योग्यता से भिन्न हो। उनका तर्क है कि किसी पद के लिए योग्यता विहित करना भर्ती नीति (recruitment policy) का विषय है तथा राज्य एक नियोजक की स्थिति में अर्हता के रूप में कोई भी योग्यता (qualification) निर्धारित कर सकता है, परन्तु उसका न्यायिक पुनर्विलोकन (review) करके इस विहित योग्यता को विस्तृत नहीं किया जा सकता है और न ही योग्यता (qualification) का समानक (equivalence) ही निर्धारित किया जा सकता है।

(Downloaded on 06/02/2025 at 01:10:07 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

उनका यह भी तर्क है कि केवल भर्ती परीक्षा में शामिल होकर उत्तीर्ण होने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता है कि जो अर्हताएं भर्ती नियमों में विहित की गई हैं, उन्हें याची पूर्ण करता हो। उनका तर्क है कि बी.ए. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम है। तीन वर्ष तक हिन्दी अथवा अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय (optional subject) के रूप में पढ़ना और केवल परीक्षा में हिन्दी–अंग्रेजी अनुवाद के संबंध में दिये गये प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने को एक समान नहीं माना जा सकता है। उनका यह भी तर्क है कि याची द्वारा विधि रचनाकार के पद हेतु जारी विज्ञापन की समस्त शर्तों व नियमों को पढ़कर भी परीक्षा में गलत भाग लिया गया है, इसलिए वह अब इन्हें चुनौती नहीं दे सकता है। अपने उक्त तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किये गये–

1. Marripati Nagaraja & Ors. vs. The Government of Andhra Pradesh
   Appeal (Civil) 4868 of 2007 Dated 12.10.2007 Supreme Court
2. Dr. Shilpa Sharma vs. State of Rajasthan & Ors.
   D.B. Special Appeal Writ No. 1149/2019 Dated 27.08.2021
   Rajasthan High Court
3. Zahoor Ahmad Rather & Ors. vs. Sheikh Imtiyaz Ahmad & Ors.
   (2019) 2 SCC 404
4. J. Ranga Swamy vs. Government of Andhra Pradesh & Ors.
   1989(2) SCALE 1405
5. Devender Bhaskar & Ors. vs. State of Haryana & Ors.
   Civil Appeal No. 7031 of 2021 Dated 24.11.2021 Supreme Court

हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली व प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

वर्तमान् मामले में यह तथ्य स्वीकृत है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा 'विधि रचनाकार' के पद हेतु जारी विज्ञापन दिनांकित 13.01.2021 में अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के पद संख्या 1(बी) में यह अंकित किया गया है कि ''अभ्यर्थी के पास बी.ए. परीक्षा में हिन्दी व अंग्रेजी विषय आवश्यक रूप से हों (जिनमें से कम से कम एक विषय वैकल्पिक हो) {Candidate must have had English and Hindi as the Subjects (at least one of them being optional) in B.A.

(Downloaded on 06/02/2025 at 01:10:07 PM)

RAJASTHAN HIGH COURT

examination.}'' तथा यही योग्यता विधि रचना सेवा नियम 1981 के नियम 12 सपठित अनुसूची–1 कॉलम–4 के क्रम–4 में भी उल्लिखित की गई है। प्रकरण में यह भी स्वीकृत स्थिति है कि याची ने B.A. L.L.B.(Hons.) की पढ़ाई की है, जिसमें उसने हिन्दी विषय का किसी भी रूप में अध्ययन नहीं किया है तथा न ही अंग्रेजी अथवा हिन्दी का वैकल्पिक विषय के रूप में अध्ययन किया है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

वर्तमान् याचिका के द्वारा याची ने उक्त विहित अर्हता संबंधी नियम को विभेदकारी व अतार्किक बताते हुए असंवैधानिक और अधिकारातीत (unconstitutional and ultra-vires) घोषित करने की प्रार्थना की है और साथ ही स्वयं को 'विधि रचनाकार' के पद हेतु वांछित योग्यता धारक होना बताते हुए उक्त भर्ती परीक्षा में आगे सम्मिलित किये जाने प्रार्थना की है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य में 'विधि रचनाकार' के पद पर भर्ती हेतु नियमों में हिन्दी भाषा संबंधी उक्त अर्हता रखी गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि राज्य को नियोजक के रूप में किसी भी पद के लिए अर्हता निर्धारित/विहित करने का अधिकार प्राप्त है और यह न्यायिक पुनर्विलोकन (review) के अधीन नहीं है और न ही न्यायालय द्वारा योग्यता (qualification) का समानक (equivalence) ही निर्धारित किया जा सकता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय Zahoor Ahmad Rather & Ors. vs. Sheikh Imtiyaz Ahmad & Ors. (2019) 2 SCC 404 के पैरा संख्या 26 व 27 में निम्न प्रकार से निर्णीत किया है–

"26. The prescription of qualifications for a post is a matter of recruitment policy. the state as the employer is entitled to prescribe the qualifications as a condition of eligibility. It is no part of the role of function of judicial review to expand upon the ambit of the prescribed qualifications. Similarly, equivalence of a qualification is not a matter which can be determined in exercise of the power of judicial review. Whether a particular qualification should or should not be regarded as equivalent is a matter for the state, as the recruiting authority, to determine.

(Downloaded on 06/02/2025 at 01:10:07 PM)

27. While prescribing the qualifications for a post, the State, as employer, may legitimately bear in mind several features including the nature of the job, the aptitudes requisite for the efficient discharge of duties, the functionality of a qualification and the content of the course of studies which leads up to the acquisition of a qualification. ....."

इस न्यायालय की समकक्ष खण्डपीठ ने भी इसी प्रकार का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए न्यायिक विनिश्चय Dr. Shilpa Sharma vs. State of Rajasthan & Ors. D.B. Special Appeal Writ No. 1149/2019 Dated 27.08.2021 में निम्न प्रकार निर्णीत किया है–

"In view of the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in Zahoor Ahmad (Supra), it can be safely concluded that a candidate for recruitment to any post must possess the requisite qualification statutorily prescribed and the Court exercising the power of judicial review can not expand upon the ambit of prescribed qualification. The equivalence of qualification is in exclusive domain of the recuiting authority."

ऐसी स्थिति में उपर्युक्त न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान् प्रकरण में विधि रचनाकार के पद हेतु जो अर्हताएं उक्त नियमों द्वारा विहित की गई है, वे राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर हों।

जहां तक उक्त नियम के विभेदकारी, अतार्किक और अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के उल्लंघन में होने संबंधी तर्क का प्रश्न है, तो याची का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि 'विधि रचनाकार' के पद पर कार्य करने के लिए जो अर्हता निर्धारित की गई है, वह बी.ए. में हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय का वैकल्पिक (optional) रूप से अध्ययन करने सबंधी है। राजस्थान राज्य में विधि रचनाकार के पदीय कर्त्तव्य का समुचित रूप से निर्वहन/निष्पादन करने के लिए हिन्दी व अंग्रेजी भाषा का विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में विधि रचनाकार के पद के लिए विहित की गई उक्त अर्हताओं और विधि रचनाकार के कर्त्तव्यों की प्रकृति के मध्य एक युक्तियुक्त संबंध (reasonable nexus) होना स्पष्टतः दर्शित है। याची द्वारा केवल

(Downloaded on 06/02/2025 at 01:10:07 PM)

अनुवाद संबंधी प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण होने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि बी.ए. में हिन्दी अथवा अंग्रेजी विषय का वैकल्पिक (optional) रूप से अध्ययन करने वाले अन्य अभ्यर्थी के समान ही याची को ज्ञान और योग्यता प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में याची की ओर से प्रस्तुत उक्त तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

जहां तक याची द्वारा प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चयों का प्रश्न है, तो न्यायिक विनिश्चय Komal Purohit vs. State of Rajasthan & Ors. 2019(1) RLW 862 (Raj.) के प्रकरण में याचिकाकर्ता के पास संबंधित पद के लिए विहित योग्यता से उच्चतर योग्यता (higher qualification) थी और उच्चतर योग्यता रखने की स्थिति में न्यायालय ने उस पद हेतु याची को अयोग्य नहीं माना, जबकि वर्तमान मामले में ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि याची 'विधि रचनाकार' के पद हेतु निर्धारित योग्यता (prescribed qualification) से उच्चतर योग्यता (higher qualification) रखता हो। ऐसी स्थिति में उक्त न्यायिक विनिश्चय के तथ्य वर्तमान् प्रकरण से भिन्न होने के कारण इससे याची को काई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

इसी प्रकार याची की ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक विनिश्चय Dr. (Major) Meeta Sahai vs. State of Bihar and others (2019) 20 Supreme Court Cases 17 से संबंधित प्रकरण के तथ्यों के अनुसार भर्ती नियमों में केवल कार्य अनुभव (work experience) का उल्लेख था, जबकि भर्ती हेतु जारी विज्ञापन में सरकारी अस्पताल का कार्य अनुभव (work experience in Government Hospital) अंकित किया गया था, इस सबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि नियमों का इस प्रकार का निर्वचन (जो कि विभेदकारी हो) नहीं किया जा सकता है, जबकि वर्तमान् प्रकरण में विधि रचनाकार भर्ती के नियमों के अनुरूप ही इस हेतु जारी विज्ञापन में अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के संबंध में ''अभ्यर्थी के पास बी.ए. परीक्षा में हिन्दी व अंग्रेजी विषय आवश्यक रूप से हों (जिनमें से कम से कम एक विषय वैकल्पिक हो) {Candidate must have had English and Hindi as the Subjects (at least one of them being optional) in B.A. examination.}'' अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के तथ्य वर्तमान् प्रकरण के तथ्यों से सर्वथा भिन्न होने के कारण उक्त न्यायिक विनिश्चय का कोई लाभ याची को प्राप्त नहीं होता है।

(Downloaded on 06/02/2025 at 01:10:07 PM)

इस प्रकार जैसा कि ऊपर विवेचन किया गया है, 'विधि रचनाकार' के पद के लिए जो अर्हता हिन्दी तथा अंग्रेजी विषय के संबंध में रखी गई है, वह किसी भी रूप में विभेदकारी और असंवैधानिक नहीं कही जा सकती है तथा स्वीकृत रूप से याची उक्त पद हेतु भर्ती के नियम और जारी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार हिन्दी व अंग्रेजी विषय के संबंध में वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, जिसके कारण ही राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा पात्रता जांच के स्तर पर याची को उक्त भर्ती परीक्षा के लिए अपात्र/अयोग्य घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा याची को विधि रचनाकार की भर्ती परीक्षा से अपात्र/अयोग्य घोषित किये जाने के उक्त कृत्य को किसी भी रूप में अवैध और अनुचित नहीं कहा जा सकता है तथा याची संबंधित नियमों को असंवैधानिक और अधिकारातीत (unconstitutional and ultra-vires) घोषित करवाने और उक्त भर्ती में भाग लेने संबंधी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तद्नुसार याची की ओर से प्रस्तुत उक्त सिविल रिट याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

परिणामतः याची दिग्विजय सिंह राजावत की ओर से प्रस्तुत यह सिविल रिट याचिका निरस्त की जाती है। तद्नुसार लम्बित प्रार्थनापत्र, यदि कोई हो, तो वे भी निरस्त किये जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J (PANKAJ BHANDARI),J

VISHAL SHARMA

(Downloaded on 06/02/2025 at 01:10:07 PM)